

न्यायालय नायब तहसीदार राजगढ़ (अलवर)

पत्रावली संख्या..... 29 तारीख दायर 07/08/2020 दिनांक निर्णय 14/08/2020
07/08/2020

उनवान

रिपोर्ट पटवारी हल्का दिगावडा बनाम रामचरोपी, रामबिन्ना

आज पत्रावली मु.— नायब तहसीलदार राजगढ़ पेश हुई। गैरसायल उम/अनु. जवाब पेश किया/नहीं करना चाहता है। सबूत गैरसायल बन्द की जानी है। अतिक्रमी का स. 2077 का नया कब्जा होना साबित होता है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि—

गैरसायल रामचरोपी, रामबिन्ना पुत्र हरिबन्धन जीवा
जाति जीवा निवासी दिगावडा को
आराजी खसरा नं. 132 किस्म चरगाघाट वाके ग्राम दिगावडा
से बेदखल किया जाता है तथा शरह लगान 2160 की 50 गुणा में मु.

80/- रुपये कायमी कराई जावे TRA व पटवारी की पालनार्थ लिखा लावें।

फसल निलामी हेतु गिरदावर/कानूनगो को लिखा जावें।

रा. ले. स. 4 वर्ष 2020-21
के पृष्ठ संख्या 17 पर चार्ज 80/-
राशि कायम किये गये।
त. रा. लेखाकार

नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)
राजगढ़ (अलवर)
14/8/20